भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1200

(जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण,1947 (शक) को दिया जाना है।)

"उपयोगकर्ता विकास शुल्क के लिए नियत जीएसटी स्लैब"

1200. श्री माथेश्वरन वी.एस.:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या एयरलाइन ऑपरेटरों द्वारा यात्रियों से वसूले जाने वाले उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर तय की गई है और यदि हां, तो वर्ष 2017 से अब तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

जीएसटी की दरें और छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सदस्य शामिल होते हैं। उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) पर 18% की दर से जीएसटी लागू है, जिसे एयरलाइन ऑपरेटर द्वारा हवाई अड्डा संचालक के एजेंट के रूप में वसूला जाता है।

*****